Hindi
الهندية
हिंदी

अनमोल पैग़ाम हाजीयों के नाम

प्रस्तुतकरणः अलमुहतसिब सेंटर फॉर कॉनसुलेशन
अनुवाद व सम्पादना : ज़ाकिर हुसैन वरासतुल्लाह

رسالة إلى حاج

إعداد

مركز المحتسب للاستشارات

Hindi

الهندية

हिंदी

ح جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة، ١٤٤٢هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
مركز أصول
رسالة إلى حاج - اللغة الهندية . / مركز أصول؛ ذاكر حسين وراثة الله - الرياض، ١٤٤٢هـ
٢٨ ص، ١٢ سم x ١٦,٥ سم
ردمك : ٦-٤٣-٨٣٢٩-٦٠٣-٩٧٨
١- الحج ٢- الحجاج أ. وراثة الله ذاكر حسين (مترجم) ب. العنوان
ديوي ٢٥٢,٥ ١٤٤٢/٧٥٦١
رقم الايداع: ١٤٤٢/٧٥٦١
ردمك : ٦-٤٣-٨٣٢٩-٦٠٣-٩٧٨

مركز أصول
Osoul Center
www.osoulcenter.com

This book has been conceived, prepared and designed by the Osool International Centre. All photos used in the book belong to the Osool Centre. The Centre hereby permits all Sunni Muslims to reprint and publish the book in any method and format on condition that 1) acknowledgement of the Osool Centre is clearly stated on all editions; and 2) no alteration or amendment of the text is introduced without reference to the Osool Centre. In the case of reprinting this book, the Centre strongly recommends maintaining high quality.

+966 11 445 4900
+966 11 497 0126
P.O.BOX 29465 Riyadh 11457
osoul@rabwah.sa
www.osoulcenter.com

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान (कृपालु) निहायत रहम करने वाला (दयालु) है

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله محمد، وآله، وصحبه.
أما بعد:

सारी तारीफ़ें एक अल्लाह के लिए हैं। दुरूद व सलाम (रहमत व शांति) नाज़िल हो उसके बंदे और रसूल मुहम्मद तथा उनके आल व औलाद और उनके अस्हाब पर।

प्यारे हाजी भाई!

अस्सलामु अ़लैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु (यानी आप सब पर सलामती नाज़िल हो, और अल्लाह की रहमतें तथा उसकी बरकतें अवतारित हो)। अम्मा बा'द (तत्पश्चात):

आख़िरकार हरमैन शरीफ़ैन की सरज़मीन (अंततः मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी की धरती) में क़दम रखकर आप धन्य हुये। यह है वह ख़्वाब जो बड़े दिनों से आपके दिल व दिमाग़ तथा मन व मस्तिष्क में दस्तक दे रहा था, आज आप ने उसे तसव्वुर का पर्दा चाक (कल्पना का आवरण भेद) करके हक़ीक़ी रूप में अपनी निगाह से दर्शन कर लिया। अतः आपके लिए है ख़ुशख़बरी तथा सुसंवाद। और हम आप से कहते हैं: अहलन व सहलन यानी ख़ुश आमदीद व स्वागतम।

मेरे प्यारे भाई! मुझे पूरा यक़ीन है कि आपका दिल अल्लाह और उसके रसूल ﷺ की मुहब्बत से पुर (भरा हुआ) है। इसी लिए मैं आप से पूछता हूँ किः क्या आप रसूलुल्लाह ﷺ को देखना तथा हज्ज

के इस सफ़र में आप ﷺ की सुहबत (संगति) में रहना पसंद नहीं करेंगे? मुझे सौ फ़ीसद वुसूक़ व यक़ीन (पूर्ण आस्था व विश्वास) है कि आप कहेंगेः क्यों नहीं! बल्कि आप को देखने तथा आपकी सुहबत में रहने के लिए मैं हर वह चीज़ जिसका मैं मालिक हूँ उत्सर्ग तथा क़ुरबान करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐ मेरे प्यारे सुनेंः यह मुसल्लमा हक़ीक़त (निर्विवाद वास्तविकता) है कि आज आप ﷺ की सुहबत में रहना नामुमकिन (असंभंव) है। लेकिन यह बात मुमकिन ज़रूर है कि आप इस मुबारक सफ़र में अपनी रूह व जान और तसव्वुर व कल्पना के साथ आपकी सुहबत में रहें। और वह इस तरह से कि आप पता लगा कर उन जगहों तक पहूँचें जहाँ रसूलुल्लाह ﷺ गए हैं, और उन जगहों की ज़ियारत के लिए न जायें जिनकी ज़ियारत आप ﷺ ने नहीं की है। तो गोया यह है आप ﷺ की सुहबत।

और मैं अब उन अमाकिन की निशानदिही (उन स्थानों को चिंहित) करूँगा जहाँ हो सकता है आप जायें, पर आपके नबी ﷺ न गये हूँ। अतः अगर आप अपने नबी ﷺ से दूर रहना चाहते हैं तो वहाँ जायें। और अगर आप अपने नबी ﷺ से दूर रहना पसंद नहीं फ़रमाते हैं तो आप भी वहीं रहें जहाँ आप ﷺ थे, और ऐसी जगहों की ज़ियारत के लिए न जायें जिनकी ज़ियारत न हज्ज में और न उ़म्रा में नबी ﷺ ने खुद (स्वयं) की है और न ही लोगों को उन की ज़ियारत का हुक्म दिया है।

वह जगहें जिनकी इबादत के तौर पर ज़ियारत करना अस्लन मशरूअ़ (मूलतः शरीअ़त सम्मत) ही नहीं है।

अतः उनकी इबादत के तौर पर ज़ियारत करना हर सूरत तथा हर

हाल में नबी ﷺ के आदर्श की स्पष्ट विरोधिता (तरीक़ा की खुली मुख़ालफ़त) है। उन जगहों में से बाज़ यह हैं:

मक्का मुकर्रमा की लाईब्रेरी:

यह लाईब्रेरी मस्जिदे हराम के मशरिक़ी जानिब वाक़ेअ़ (पूर्वी दिशा में अवस्थित) है। बाज़ लोग यह गुमान करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ की वलादत बासआ़दत (शुभ पैदाइश) उस जगह हुई थी जहाँ लाइब्रेरी बनाई गई है। हक़ीक़ते अम्र (विषय की वास्तविकता) जो भी हो आप इतना जान लें कि आपके नबी ﷺ ने इस जगह की ज़ियारत नहीं फ़रमाई है न हज्ज में और न ही उ़म्रा में। अतः तक़र्रुबे इलाही की ग़रज़ (अल्लाह तआ़ला की निकटता की प्राप्ति के उद्देश) से उसकी ज़ियारत करना आप ﷺ के आदर्श विरोधी तथा आप ﷺ की सुन्नत के ख़िलाफ़ है, जो क़ाबिले क़ुबूल (ग्रहण योग्य) नहीं है। क्योंकि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». [صحيح مسلم: ٣/١٣٤٣].

“जिस ने कोई ऐसा अ़मल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है तो वह मरदूद (ना क़ाबिले क़ुबूल) है।” {सहीह मुस्लिमः 3/1343}

और अगर इस स्थान की ज़ियारत करना सुन्नत होती अथवा इसकी ज़ियारत में ख़ैर तथा कल्याण होता, तो नबी करीम ﷺ खुद और आपके बाद आपके सहाबा किराम उसकी ज़ियारत फ़रमाते।

रही बात कि आप लाईब्रेरी की ज़ियारत किताबों की जानकारी लेने तथा उनके अध्ययन और पढ़ने के लिए करें तो कोई हरज और मुज़ायक़ा नहीं है।

अतः अगर आप किसी ज्ञानहीन व्यक्ति (अनजान आदमी) को उसका तवाफ़ करते या कअ़बा को अपने पीछे रखकर इस लाईब्रेरी की ओर रुख़ करके नमाज़ पढ़ते अथवा लाईब्रेरी की इमारत छू कर उस से बरकत लेते देखें, तो उसे कोमलता व नरमी के साथ इस कुकर्म और बद अ़क़ीदगी से रोकते हुये उसके सामने हक़ और बातिल की वज़ाहत (सत्यासत्य को स्पष्ट) करें।

ग़ारे हिरा (हिरा नामक गुफा):

यह वह ग़ार है जिस में नबी ﷺ नुबुव्वत से पहले अल्लाह तआ़ला की इबादत किया करते थे। अगर इस ग़ार की कोई ख़ुसूसीयत (विशेषता) होती या उसकी ज़ियारत करना सुन्नत होती, तो नबी ﷺ नुबुव्वत के बाद ज़रूर उसकी ज़ियारत फ़रमाते, हालाँकि आप ﷺ नुबुव्वत के बाद और हिजरत से पहले दस साल तक मक्का में क़ियाम पज़ीर रहे (अवस्थान किये), इस दौरान अथवा हज्ज या उ़म्रा में कभी भी आप ﷺ से इसकी ज़ियारत करने का सुबूत नहीं मिलता है। तथा इसका भी सुबूत नहीं है कि आप ﷺ के सहाबा किराम में से किसी ने इसकी ज़ियारत की है। अतः इबादत के तौर पर ग़ारे हिरा की ज़ियारत करना नबी ﷺ के आदर्श की स्पष्ट विरोधिता (आप ﷺ के तरीक़ा की खुली मुख़ालफ़त) है, और यह इबादत मरदूद है जो उसके करने वाले से क़बूल नहीं की जायेगी।

मज़ीद बर्आँ (इसके अ़लावा) वहाँ कुछ आमाल -जैसे स्पर्श करना (छूना), मन घड़ंत दुआ़यें करना अथवा बरकत लेना- करते देखें जाते हैं जो निःसंदेह बदतर (निकृष्ट) और खुली मुख़ालफ़त है।

ग़ारे सौर (सौर नामक गुफा):

यह वह ग़ार है जिस में रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने साथी अबू बक्र सिद्दीक़ رضي الله عنه समेत हिजरत के सफ़र में पनाह लिया था, ताकि कुरैश के लोग आप दोनों को न पा सकें। इस ग़ार की कोई दीनी क़द्र व क़ीमत नहीं है। तथा यह साबित (प्रमाणित) भी नहीं है कि रसूल ﷺ ने इसकी ज़ियारत की तरग़ीब दिलाई है, या आप ﷺ ने या आपके सहाबीयों में से किसी ने हिजरत के बाद उसकी ज़ियारत की है। अतः पता नहीं लोग कहाँ से इन बेबुनियाद और मनघड़ंत ज़ियारतों को ले आते हैं?

उहुद पहाड़ में मौजूद ग़ार और गुफे:

हज्ज व उ़म्रा के लिए आगत (आये हुये) बाज़ लोग अज्र व सवाब का दावा करते हुये इबादत के तौर पर उहुद पहाड़ के ग़ारों और गुफों की ज़ियारत करते हैं, हालाँकि इसकी कोई अस्ल व बुनियाद (भित्ति) नहीं है।

अ़रफ़ात में रहमत नामक पहाड़ के ऊपर बना हुआ खंबा:

बहुत सारे मुसलमान यह गुमान करते हैं कि रहमत नामक पहाड़ पर ठहरे बिना अ़रफ़ा के मैदान में वकूफ़ (अवस्थान) मुकम्मल नहीं होगा। इसी लिए बाज़ लोग पहाड़ के ऊपरी हिस्सा में मौजूद पीलर तक पहुँचना अपने ऊपर लाज़िम क़रार देते हैं, हालाँकि यह बेबुनियाद और ग़लत बात है। बल्कि बत्ने उ़रना (उ़रना नामक वादी) के अ़लावा पूरा मैदाने अ़रफ़ा मौकिफ़ (अवस्थान स्थल/ठहरने की जगह) है।

(अलहम्दु लिल्लाह) मख़सूस इंतिज़ामिया (विशिष्ट प्रबंधकों) ने मैदाने अ़रफ़ा के चारों तरफ़ हद बंदी का बोर्ड लगा कर उसके हुदूद को वाज़िह (चौहद्दी को स्पष्ट) कर दिया है। अतः हाजी साहब के लिए जायज़ (उचित) नहीं है कि वह पहाड़ पर या पीलर के पास ठहरने की कोशिश करे और न ही इस के द्वारा अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करे। और यह मामला उस वक़्त और शदीद तथा गंभीर हो जाता है जब इसके साथ परस्पर धक्कम पेल, एक दूसरे से कीना कपट, बाहम अ़दावत व दुशमनी और आपसी इख़्तिलाफ़ात का इज़ाफ़ा हो जाये।

वह जगहें जिनकी इबादत के तौर पर ज़ियारत करना उ़मुमन मशरूअ़ (साधारणतः शरीअ़त सम्मत) है।

लेकिन उन में से किसी जगह का बिऐनिही (खुसूसन या नाम के साथ) इस तरह ज़िक्र नहीं किया गया है कि उसे दूसरी जगहों से इम्तियाज़ (विशेषता और खुसूसीयत) हासिल हो, यहाँ तक कि उसकी ज़ियारत को हज्ज या उ़म्रा में ख़ास कर ली जाये।

मसलन (जैसे) क़ब्रिस्तानः बेशक क़ब्रिस्तानों की ज़ियारत मौत को याद करने, इबरत व नसीहत हासिल करने, उपदेश ग्रहण करने तथा नेक अ़मल के ज़रीये और बुरे कर्मों से दूर रहकर आख़िरत की तैयारी करने की ग़रज़ से मशरूअ़ (शरीअ़त सम्मत) की गई है।

लेकिन आजकल क़ब्रों के पास ऐसी हरकतें होती हैं जिन्हें देखकर पेशानी पसीना से शराबोर (बिल्कुल गीला) हो जाती है और कलीजा मुँह को आ जाता है, जैसेः पुरुष और महिला का संमिश्रण व समागम (मर्द व ख़वातीन का इख़्तिलात) और बाज़ लोगों का मुर्दों को पुकारना तथा उन

से दुआ़ और फ़रयाद करना। अगर रसूलुल्लाह ﷺ उनको इस हरकत में लतपत देखते तो उनको ज़रूर रोकते और मना फ़रमाते।

अतः अगर आप उनको इस हरकत से रोकने पर क़ादिर (सक्षम) हैं, तो क़ब्रिस्तान की ज़ियारत करें और अल्लाह तआ़ला के हाँ अज्र व सवाब (प्रतिदान) की उम्मीद करते हुये उन्हें भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें।

बिलउ़मूम (साधारणतः) हर क़ब्र की ज़ियारत मशरूअ़ है, फिर भी बाज़ लोग बिऐनिही बाज़ (नाम के साथ विशेष) क़ब्रों को ज़ियारत के लिए ख़ास कर लेते हैं, हालाँकि ज़ियारत के लिए ख़ास कर लेने की कोई दलील मौजूद नहीं है। उन क़ब्रों में से जिनको बाज़ लोगों ने ज़ियारत के लिए ख़ास कर लिया है चंद यह हैं:

1 मक्का मुकर्रमा में 'मुअ़ल्ला' नामक क़ब्रिस्तानः

इस क़ब्रिस्तान में बहुत सारे सहाबा किराम की क़ब्रें हैं। और कहा जाता है कि उस में उम्मुल मुमिनीन ख़दीजा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की क़ब्र भी है। रसूलुल्लाह ﷺ के हाँ ख़दीजा रज़ियल्लाहु अ़न्हा का अ़ज़ीम मक़ाम व मरतबा (महान स्थान व मर्यादा) होने के बावजूद यह बात साबित नहीं है कि आप ﷺ ने हज्ज या उ़म्रा में आपकी क़ब्र की या मुअ़ल्ला क़ब्रिस्तान की ख़ासकर ज़ियारत की हो।

2 उम्मुल मुमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु अ़न्हा की क़ब्रः

यह क़ब्र मक्का से निकल कर मदीना की पहली हाई वे में वाक़ेअ़ है। खुसूसी तौर पर (विशेषतः) इस क़ब्र की ज़ियारत करने का कोई सुबूत

नहीं है न हज्ज में और न ही उ़म्रा में। और इस क़ब्र की ज़ियारत के बारे में भी वही बात है जो दूसरी क़ब्रों की ज़ियारत के संबंध में है।

हव्वा की क़ब्रः

यह हमारी माँ हव्वा की क़ब्र है जिसके संबंध में दावा किया जाता है कि वह जिद्दा में विदेश मंत्रालय (वज़ारते ख़ारिजिया) की बिल्डिंग के सामने वाक़ेअ़ है। कैसे किसी के लिए यह साबित करना मुमकिन हो कि यही उनकी क़ब्र है। यह तो बहुत ही अ़जीब बात है। बहर हाल (सार बात यह है कि) हमारे नबी ﷺ ने न तो उसकी ज़ियारत की है और न ही उसकी ज़ियारत की ओर रहनुमाई फ़रमाई है।

और जब उसका क़ब्र होना साबित ही नहीं है, तो इबादत के तौर पर उसकी ज़ियारत करना अ़क्ले सलीम (शुद्ध बुद्धि) के ख़िलाफ़ है, नीज़ (अनुरूप) यह नबी करीम ﷺ के आदर्श विरोधी (तरीक़ा के ख़िलाफ़) भी है। और यह मामला उस वक़्त और शदीद तथा गंभीर हो जाता है जब उसके साथ शिर्क तक पहूँचाने वाला या उसके खड्डे में ढकेलने वाला कोई अ़मल -जैसे उसको वसीला बनाना या उस से बरकत हासिल करना आदि- पाया जाये।

नबी करीम ﷺ की वालिदा आमिना बिन्ते वहब की क़ब्रः

नबी ﷺ की वालिदा आमिना की क़ब्र के पास बहुत से ग़ैर शरई़ (शरीअ़त के ख़िलाफ़) काम होते हैं, जैसेः उसके पास नमाज़ पढ़ना, उस पर रूपये पैसे और कपड़े फेंकना, उसका तवाफ़ करना तथा उस से बरकत लेना इत्यादि। और यह बात साबित नहीं कि नबी ﷺ ने अपनी वालिदा की क़ब्र की हज्ज या उ़म्रा में ज़ियारत की है। अतः

आमिना की क़ब्र की ज़ियारत के बारे में कोई क़ाबिले ज़िक्र (उल्लेख योग्य) फ़ज़ीलत नहीं है। बल्कि साबित यह है कि अल्लाह तआ़ला ने नबी ﷺ को उसके लिए मग़फ़िरत तलब (क्षमा प्रार्थना) करने की इजाज़त नहीं दी। आप ﷺ ने फ़रमाया:

«اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي».

"मैं ने अपने रब से अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत तलब करने की इजाज़त माँगी तो मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी। और मैं ने उसकी क़ब्र की ज़ियारत करने की इजाज़त माँगी तो मुझे इसकी इजाज़त दी।"

इमाम नववी रहिमहुल्लाह सहीह मुस्लिम की शरह में फ़रमाते हैं:

1. इस हदीस में मुशरिकों की जब वह ज़िंदा हूँ ज़ियारत करने तथा उनके मरने के बाद उनकी क़ब्रों की ज़ियारत करने का जवाज़ (सिद्धता) है। क्योंकि अगर मृत्यु के बाद उनकी (उनके क़ब्र की) ज़ियारत करना जायज़ है तो ज़िंदगी में उनकी ज़ियारत करना बदर्जा औला जायज़ है (जायज़ होने के अधिकतर उपयोगी है)। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया:

﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥]

"और दुनिया में उनके साथ अच्छी तरह गुज़र बसर करना।" {सूरतु लुक़मान: १५}

2. इस हदीस में काफ़िरों के लिए मग़फ़िरत तलब (क्षमा प्रार्थना) करने की मुमानअ़त (मनाही) है।

क़ाज़ी एयाज़ रहिमहुल्लाह ने फ़रमायाः नबी ﷺ की अपनी वालिदा की क़ब्र ज़ियारत करने का सबब यह था कि आप ने उसकी क़ब्र का मुशाहदा (दर्शन) करके सख़्त नसीहत व उपदेश हासिल करने का क़स्द व इरादा किया था। और इसकी ताईद नबी ﷺ की हदीस के आख़िरी टुकड़े से होती हैः

«فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ».

“अतः तुम लोग क़ब्रों की ज़ियारत करो, क्योंकि वह तुम्हें मौत याद दिलाती है।” {नववी रचित मुस्लिम की शरहः ७/४५}

जिन क़ब्रों की बिऐनिही (विशेषतः) ज़ियारत करना मुस्तहब है उन में से चंद यह हैंः

1 नबी ﷺ की क़ब्र की ज़ियारतः

आदमी नबी ﷺ की क़ब्र के सामने खड़ा होगा और यह कहता हुआ सलाम करेगाः

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُه، صَلَّى الله عَلَيْكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّتِكَ خَيْرًا.

ऐ नबी! आप पर सलामती नाज़िल हो, और अल्लाह की रहमतें तथा उसकी बरकतें अवतारित हो। अल्लाह तआ़ला आप पर दुरूद नाज़िल फ़रमाये और आपको आपकी उम्मत की तरफ़ से बेहतरीन बदला दे।

2 नबी करीम ﷺ के दोनों साथीयों -अबू बक्र और उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा- की क़ब्रों की ज़ियारतः

नबी ﷺ पर दुरूद व सलाम पढ़ लेने के बाद अबू बक्र رضي الله عنه की क़ब्र

के सामने खड़े होने के लिए आदमी अपनी दायें तरफ़ से एक या दो क़दम चलेगा और यह कहता हुआ सलाम करेगाः

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ خَلِيفَةَ رَسُولِ الله ﷺ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، رَضِيَ الله عَنْكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَيرًا.

ऐ रसूलुल्लाह ﷺ के ख़लीफ़ा अबू बक्र! आप पर सलामती और उसकी रहमतें तथा उसकी बरकतें नाज़िल हो। अल्लाह आप से राज़ी हो जाये और आपको मुहम्मद ﷺ की उम्मत की तरफ़ से बेहतरीन बदला प्रदान करे।

फिर उ़मर رضي الله عنه की क़ब्र के सामने खड़े होने के लिए व्यक्ति अपनी दायें तरफ़ से एक या दो क़दम चलेगा और यह कहता हुआ सलाम करेगाः

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ! وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، رَضِيَ الله عَنْكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَيرًا.

ऐ अमीरुल मुमिनीन उ़मर! आप पर सलामती और उसकी रहमतें तथा उसकी बरकतें नाज़िल हो। अल्लाह आप से राज़ी हो जाये और आपको मुहम्मद ﷺ की उम्मत की तरफ़ से बेहतरीन बदला प्रदान करे।

बक़ीअ़ की ज़ियारत और उस में मदफ़ून (समाधिस्त) मुसलमानों पर सलाम करनाः

शख्स उ़समान رضي الله عنه की क़ब्र के सामने खड़ा होगा और यह कहता हुआ सलाम करेगाः

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُثْمَانُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ! وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، رَضِيَ الله عَنْكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَيرًا.

ऐ अमीरुल मुमिनीन उ़समान! आप पर सलामती और उसकी रहमतें तथा उसकी बरकतें नाज़िल हो। अल्लाह आप से राज़ी हो जाये और आपको मुहम्मद ﷺ की उम्मत की तरफ़ से बेहतरीन बदला प्रदान करे।

उहुद की तरफ़ निकलना और हम्ज़ा رضي الله عنه समेत तमाम शहीदान رضي الله عنهم की ज़ियारत करनाः

ज़ाएर (ज़ियारत करने वाला) उनको सलाम करेगा और उनके लिए मग़फ़िरत, रहमत और रिज़वान (क्षमा, दया तथा संतोष) की दुआ़ करेगा।

वह जगहें जिन में इबादत करना मशरूअ़ है, लेकिन उन में से किसी का बिऐनिही (नाम के साथ/खुसूसन) इबादत की ग़रज़ से क़स्द करना (विशेषतः इबादत करने के लिए वहाँ जाना) मशरूअ़ नहीं हैः

और यह मदीना नबवीया में वाकेअ़ चंद मस्जिदों का एक मजमूअ़ा (समष्टि) है। इन मस्जिदों को दूसरी मस्जिदों से अलग कोई खुसूसीयत हासिल (विशेषता प्राप्त) नहीं है।

इस में कोई शक नहीं कि रूये ज़मीन (धरती) पर अल्लाह के घर मस्जिदें हैं, लेकिन उन में से किसी को किसी पर फ़ौक़ियत (प्रधानता) देते हुये उसकी ज़ियारत करना या खुसूसन (विशेषतः) उस में नमाज़ पढ़कर अल्लाह का तक़र्रुब (निकटता) हासिल करना जायज़ नहीं है, मगर यह कि इसकी ताईद व समर्थन में अल्लाह तआ़ला की किताब कुरआने मजीद से या उसके नबी मुहम्मद ﷺ की हदीस से कोई दलील हो -जैसे मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी, मस्जिदे अक़सा और मस्जिदे कुबा-। बल्कि

मुसलमान को चाहिये कि जब भी नमाज़ का वक़्त हो जाये, अहले सुन्नत की मस्जिदों में से किसी भी मस्जिद में नमाज़ अदा कर ले।

अतः नमाज़ पढ़ने के लिए या किसी दूसरी इबादत की ग़रज़ से खुसूसन इन मस्जिदों की ज़ियारत करना जायज़ नहीं है, क्योंकि इस में सुन्नते नबवी की मुख़ालफ़त है। और यह मामला उस वक़्त अधिक गंभीर और सख़्ततरीन हो जाता है जब वहाँ नादान क़िस्म के लोग बाज़ ऐसे हराम और मुंकर काम –जैसे उन से बरकत लेना, उनके दीवारों को छूना अथवा गिरहें बाँधना वग़ैरा– किया करते हैं, जो कभी शिर्क तक पहुँच जाते हैं या उसका ज़रीया (माध्यम) बन जाते हैं।

और उक्त मस्जिदें 'मसाजिदे सबआ़' या 'सबआ़ मसाजिद' यानी 'सात मस्जिदों' के नाम से मशहूर हैं, जो मुंदरजा ज़ैल (निम्नलिखित) हैं:

1 'अल्फत्ह' या 'अल्अहज़ाब' नामी मस्जिदः

यह सात मस्जिदों में सबसे बड़ी है जो सला' नामक पहाड़ के मग़रिबी जानिब (पश्चिम प्रांत) में टीला के ऊपर बनी हुई है। और कहा जाता है कि इसका यह नाम इस लिए रखा गया कि इस ग़ज़वा (युद्ध) में मुसलमानों को फत्ह हासिल (विजय प्राप्त) हुई थी।

2 मस्जिदे सलमान फारसीः

और यह मस्जिद अल्फ़त्ह से मुत्तसिल (संलग्न) उसके जनूबी साइड में (दक्षिण ओर) उस से पचीस मीटर दूर बिल्कुल पहाड़ की बुनियाद के पास वाक़ेअ़ है। और इसे इस नाम के साथ सहाबी सलमान फ़ारसी رضي الله عنه की तरफ़ निस्बत करते हुये मौसूम (नामकरण) किया गया है, जिन्होंने हिज़्बे

मुख़ालिफ़ के हमला (विरोधी पक्ष के आक्रमण) से मदीना की रक्षा और हिफ़ाज़त के लिए ख़नदक़ (परिखा) खोदने का मशवरा पेश किया था।

3 मस्जिदे अबू बक्र सिद्दीक़:

और यह मस्जिद सलमान फ़ारसी के दक्षिण पश्चिम प्रांत (जनूबी मग़रिबी जानिब) में उस से 15 मीटर की दूरी पर वाक़ेअ़ है। पूर्वोक्त (मज़कूरा) दोनों मस्जिदों के साथ इसकी तामीर व तरमीम (निर्माण व नवीनता) हुई है, लेकिन मुस्तक़बल में (भविष्य में) इसको मुनहदिम (ध्वस्त) कर दी जायेगी।

4 मस्जिदे उ़मर बिन ख़त्ताब:

और यह मस्जिद अबू बक्र से मुत्तसिल (संलग्न) उसके जनूबी साइड में (दक्षिण ओर) उस से केवल दस मीटर की दूरी पर वाक़ेअ़ है। वह लम्बा बरामदा नुमा है और उसी की शक्ल (आकृति) में बग़ैर छत के उसका सह्न (आँगन) भी है, जो ज़मीन से आठ दर्जे (फुट) ऊँचा है। उसकी तामीरी ढाँचा बिल्कुल मस्जिद अल्फ़त्ह की बनावट के मुताबिक़ (अनुसार) है, जिस से लगता है कि दोनों की तामीर व तरमीम एक साथ हुई है।

5 मस्जिदे अ़ली बिन अबी तालिब:

यह मस्जिदे फ़ातिमा की पूरब जानिब लंबी शक्ल में ऊँचे टीले पर वाक़ेअ़ है। और कहा जाता है कि अ़ली رضي الله عنه ने यहाँ पर अ़म्र बिन वद्द अल्अ़ामिरी –जो जंगे अहज़ाब में ख़ंदक़ पार कर गया था– को हत्या किया था।

मस्जिदे फ़ातिमा बिनते (पुत्री) रसूलुल्लाह ﷺ:

तारीख़ की किताबों में यह मस्जिद मस्जिदे सअ़्द बिन मुआ़ज़ के नाम से मौसूम (नामित) है। और यह इस मजमूआ़ (समष्टि) की सबसे छोटी मस्जिद है, जो मस्जिदे अ़ली बिन अबी तालिब के पच्छिम में वाक़ेअ़् है।

मस्जिदे क़िबलतैन:

बाज़ लोग इसे सातवीं मस्जिद शुमार करते हैं। इस में रसूलुल्लाह ﷺ पर बैतुल मक़दिस से कअ़्बा शरीफ़ की तरफ़ क़िबला बदलने की वह्य नाज़िल हुई थी। और उसी समय से यह मस्जिद 'मस्जिदे क़िबलतैन' के नाम से जानी गई, क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने उस में आधी नमाज़ मस्जिदे अक़सा की तरफ़ रुख़ करके पढ़ी और बाक़ी आधी नमाज़ मस्जिदे हराम की तरफ़ रुख़ करके अदा फ़रमाई।

लेकिन नमाज़ पढ़ने की ग़रज़ से जिन मस्जिदों की ज़ियारत करना मसनून (सुन्नत सम्मत) है, उन में से एक मस्जिदे क़ुबा है। पस आदमी उज़ू करके उसकी तरफ़ निकलेगा और उस में नमाज़ पढ़ेगा। क्योंकि बुख़ारी और मुस्लिम में इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा की हदीस से साबित है कि:

«كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ». [صحيح البخاري: ٢/٦١، وصحيح مسلم: ٢/١٠١٦].

"रसूलुल्लाह ﷺ मस्जिदे क़ुबा तशरीफ़ ले जाया करते थे (कभी) सवार होकर और (कभी) पैदल। और वहाँ पहुँच कर आप दो रकअ़त (नफ़्ल) अदा फ़रमाते।" {सहीह बुख़ारी: 2/61, सहीह मुस्लिम: 2/1016}

मेरे प्यारे भाई!

गुज़श्ता सफ़हात (पूर्वोक्त पृष्ठों) में मैं ने यह बताया कि इन जगहों की ऐसी कोई ख़ुसूसीयत नहीं है कि हज्ज या उ़म्रा में उनकी ज़ियारत की जाये। नीज़ (अनुरूप) इन जगहों में बाज़ लोगों से सरज़द (संघटित) होने वाली ग़लतीयों की तरफ़ भी इशारा किया। और अब मैं आपको आपके नबी और आपके हबीब ﷺ की बात याद दिला रहा हूँ। आप ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ». [صحيح مسلم: ٣/١٣٤٣].

“जिस ने हमारे इस दीन (इस्लाम) में (अपनी तरफ़ से) कोई नई बात ईजाद (आविष्कार) की जो उस में से नहीं है तो वह मरदूद है (ना क़ाबिले क़बूल है अगरचे वह उसे अच्छा ही क्यों न समझे)।” {सहीह मुस्लिम: 3/1343}

और मैं आपको रसूलुल्लाह ﷺ का निम्नोक्त फ़रमान भी याद दिलाता हूँ:

«... وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ». [صحيح ابن خزيمة: ٣/١٤٣].

“और बदतरीन काम (दीन में) नये पैदा करदा काम हैं। और ऐसा हर नया काम बिदअ़त है। और हर बिदअ़त गुमराही है। और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है।” {सहीह इब्नु ख़ुज़ैमा: 3/143}

और आख़िरी बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ वह यह कि इस तरह की नई ईजादात तथा बिदअ़तें अपने करने वालों को क़ियामत के दिन नबी ﷺ के हौज़ के पास जाने से रोकेंगी और आप ﷺ -मेरे बाप माँ आप पर क़ुरबान जायें- के दूर करने तथा भगाने का सबब बनेंगी। जैसाकि आप ﷺ ने फ़रमाया:

«إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَأَقُولُ: إِنَّهُمْ مِنِّي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي». [صحيح البخاري: ٥/٢٤٠٦].

''बेशक हौज़ पर मैं तुम्हारा पेश रौ और अग्र गामी (यानी तुम लोगों से पहले पहुँच कर तुम्हें पानी पिलाने का इंतिज़ाम करने वाला) हूँ। जो मेरे पास से गुज़रेगा पीयेगा। और जो पीयेगा वह कभी पियासा न होगा। मेरे पास कुछ ऐसे लोग आयेंगे जिनको मैं पहचान लूँगा और वह भी मुझे पहचान लेंगे। फिर मेरे और उनके दरमियान रुकावट और आड़ खड़ी कर दी जायेगी। पस मैं कहूँगाः यह लोग तो मुझ से हैं (यानी मेरी उम्मत हैं)। तो कहा जायेगाः आपको ख़बर नहीं कि इन लोगों ने आपके बाद (दीन में) क्या क्या चीज़ें ईजाद की थीं। तब मैं कहूँगाः दूर हो जायें फिर दूर हो जायें वह लोग जिन्होंने मेरे बाद बदल डाली।'' {सहीह बुख़ारीः 5/2406}

अतः क्या आप अपने नबी ﷺ के हौज़ से पीने से महरूम (वंचित) होना चाहते हैं? या यह चाहते हैं कि आपके और आपके नबी ﷺ के दरमियान रुकावट क़ायम कर दी जाये और वह आप से -अल्लाह की पनाह- कहेंः दूर हो जाये फिर दूर हो जाये वह शख़्स जिस ने मेरे बाद विकार व बिगाड़ पैदा कर दी।

मेरे प्यारे भाई!

और अगर बिदअ़त सारी की सारी शर्र और बुराई है, तो बिदअ़तों में सब से बुरी बिदअ़त वह है जो शिर्की हो या शिर्क के खड्डे में ढकेलने वाली

हो। और शिर्के अकबर (बड़े शिर्क) की सज़ा -अल्लाह की पनाह- हमेशा के लिए जहन्नम है। और अफ़सोस कि मज़्कूरा मक़ामात (उल्लिखित स्थानों) में शिर्के अकबर का एक बड़ा हिस्सा होते दिखाई देता है। हालाँकि -ऐ मेरे भाई!- हम तो जहन्नम से कोसों दूर भागते हैं और अल्लाह तआ़ला से जन्नत की भीक मांगते हैं। अतः -ज़रा आप ही बतायें कि- हम इन आमाल को अपने लिए करना क्योंकर पसंद कर सकते हैं?

बाज़ मुंकर और ग़ैर शरई आमाल की झलकीयाँ:

1. इन जगहों -जैसे लाईब्रेरी, क़ब्रें या मैदाने अ़रफ़ा में वाक़ेअ़ जबले रहमत के ऊपर बने पीलर- के इर्द गिर्द (चारों तरफ़) तवाफ़ करना, हालाँकि 'अलबैतुल अ़तीक़' यानी पुराने घर अर्थात ख़ाना कअ़बा के अ़लावा कहीं का तवाफ़ करना जायज़ नहीं है।
2. क़ब्रों को क़िबला बनाकर उनकी ओर रूख़ करके नमाज़ पढ़ना।
3. ग़ैरुल्लाह को पुकारते हुये उनसे अपनी ज़रूरतें मांगना, जैसे नबी ﷺ को पुकारना और उनसे या उनके अ़लावा अहले क़ुबूर (कब्रवासीयों) से मदद तलब करना।
4. लाईब्रेरी की दीवारों से या क़ब्रों, ग़ारों अथवा बाज़ जगहों की मिट्टी से बरकत हासिल करना।
5. दरख़्तों और बाज़ जगहों पर गिरहें बाँधना या वहाँ ऐसे काग़ज़ात (पेपर्स) फेंकना जिन में दुआ़यें वग़ैरा लिखी हुई हों।
6. क़ब्र की बाउंडरी और उसके ग्रीलों तथा कटी हुई शाख़ों को छूना, उन में धागे बाँधना और लटकाना तथा उन से बरकत हासिल करना।

7. तक़र्रुब हासिल (निकटता प्राप्त) करने की ग़रज़ से बाज़ क़ब्रों पर रूपये पैसे फेंकना या ख़ुशबू डालना या छिड़काना।
8. नमाज़ के लिए खड़े होने की तरह ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ (विनय नम्रता) के साथ बाज़ लोगों का क़ब्र के सामने खड़ा होना और नमाज़ की तरह अपने दायें हाथ को बायें हाथ पर रखना।

अंत में ऐ मेरे प्रिय भाई!

मैं अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करता हूँ कि वह आपको इस सफ़र में तथा आने वाले दिनों में आपके रब की किताब क़ुरआने मजीद पर और आपके नबी ﷺ की सुन्नत पर अ़मल करने की तौफ़ीक़ दे। और आपके दरमियान तथा बिदअ़तों और गुनाह ख़ताओं के दरमियान उतनी दूरी कर दे जितनी दूरी पूरब और पच्छिम के दरमियान की है। और आपको उन लोगों में से बनाये जो बेगुनाह होकर हज्जे मबरूर (मक़बूल) के साथ तथा ख़ताओं और पापों से इस तरह पाक व साफ़ लौटते हैं जैसाकि उनकी माओं ने उन्हें आज ही जनम दिया है।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

और हमारी आख़िरी बात यह है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का रब है। और ऐ अल्लाह! हमारे नबी मुहम्मद पर, तथा उनके आल व औलाद और उनके सहाबीयों पर दुरूद व सलाम नाज़िल फ़रमा।

– समाप्त –

IslamHouse.com

Hindi.IslamHouse @IslamHouseHi IslamHouseHi https://islamhouse.com/hi/

IslamHouseHi

For more details visit
www.GuideToIslam.com

GUIDE TO ISLAM

contact us :Books@guidetoislam.com

GuidetoIslam.org Guidetoislam1 Guidetoislam www.Guidetoislam.com

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

अनमोल पैग़ाम हाजीयों के नाम

इस किताब में हैः ♦ वह जगहें जिनकी इबादत के तौर पर ज़ियारत करना असूलन मशरूअ़ (मूलतः शरीअ़त सम्मत) ही नहीं है ♦ वह जगहें जिनकी इबादत के तौर पर ज़ियारत करना उ़मुमन मशरूअ़ (साधारणतः शरीअ़त सम्मत) है ♦ सबअ़ा मसाजिद (सात मस्जिदों) की हक़ीक़त।

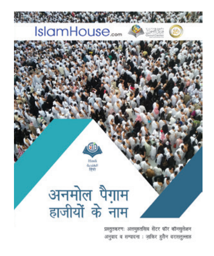

IslamHouse.com

Osoul Center
www.osoulcenter.com